UPKN010064402026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2173/2026

मोहम्मद वसीम उम्र 60 वर्ष पुत्र अमीन, निवासी 97/253, तलाक महल, थाना बेकनगंज, कानपुर नगर।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0–47/2026
धारा–351(3), 352, 316(2) बी0एन0एस0
थाना–बेकनगंज, कानपुर नगर

06.06.2026

1. वर्तमान प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद वसीम की ओर से मुकदमा अपराध सं0 47/2026 धारा 351(3), 352, 316(2) बी0एन0एस0 थाना बेकनगंज, कानपुर नगर में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी शमा परवीन अपने छोटे पुत्र की शादी के लिए न्यू रहनुमा ज्वैलर्स दुकान नं0 97/253 तलाक महल (मो0 नदीम) कानपुर नगर को शादी के जेवर बनवाने हेतु दिनांक 16.11.2024 को 60000 रूपये प्रति दस ग्राम की दर से 90 ग्राम का कुल जेवर बनवाने हेतु एक लाख रूपया एडवांस जमा किया था, उसके बाद एक साल मे जेवर बनाकर देने को तय था। उक्त दुकान मालिक मो0 नदीम के कहने पर बीच–बीच मे भिन्न–भिन्न तारीखों मे दिनांक 11.11.2025 तक कुल पांच लाख रूपये जमा किया जा चुका है व साथ मे एक जोड़ी बुन्दा जिसका वजन 3 ग्राम है दिनांक 04.12.2025 को बुन्दे को नया बनवाने के लिए दिया था। पिछले माह दिनांक 06.03.2026 को जेवर लेने व हिसाब करने उक्त दुकान पर गयी तो पता चला कि उक्त नदीम अपनी दुकान से सारा जेवर हटाकर दुकान खाली कर दिया। तब वह नदीम के घर गयी तो नदीम द्वारा कहा गया कि मैं अभी बीमार हूं ईद के बाद जेवर बनाकर तुम्हारा हिसाब कर देंगे। ईद के बाद नदीम को तलाश किया गया तो न नदीम दुकान पर न घर पर मिले और दुकान बंद कर दी है तथा मोबाइल भी बंद कर लिया है। दुकान पर नदीम का बेटा मोहम्मद राफे भी साथ मे बैठता था जिसे पूरी जानकारी है।
3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना बेकनगंज, कानपुर नगर पर दिनांक 29.04.2026 को अ0स0 47/2026 धारा 316(2) बी0एन0एस0 अभियुक्त मो0 नदीम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए यह कहा गया है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित नहीं है और न ही उसका कोई रोल दर्शित किया गया है। पुलिस द्वारा झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को फसा दिया गया है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि अपराध सं0 44/2026 के मामले मे उसने आत्मसमर्पण किया था जिसमे उसकी जमानत अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 21 द्वारा स्वीकार की गयी है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त के घरवालों से बार–बार पैसे की मांग की जा रही थी, न देने पर फर्जी साक्ष्य गढ़ते हुए इस मामले मे फसा दिया गया है। आरोपित अपराध मे सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उसे किसी भी मामले मे दण्डित नहीं किया गया है। अभियुक्त की उम्र 60 वर्ष है। अभियुक्त दिनांक 27.05.2025 से जेल मे निरूद्ध है, अतः जमानत स्वीकार की जाए।
5. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व जनता के लोगों का जेवर व पैसा धोखाधड़ी करके हड़प कर लिया गया। अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश मे आया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादिनी शमा परवीन, साक्षीगण जीनत बानो, आयशा खान, नाजिया के बयान लेखबद्ध किए गए हैं, जिन्होने अभियोजन कथानक के समर्थन मे साक्ष्य दी है। अभियुक्त का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाए।
6. उभय पक्ष के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।
7. विवेचक द्वारा वादिनी शमा परवीन का बयान लेखबद्ध किया गया है, जिसने अभियोजन के समर्थन मे साक्ष्य दी है। स्वतंत्र साक्षी जीनत बानो मे विवेचक को दिए गए बयान मे यह कथन किया है कि ग्रीन वुड स्कूल के सामने नदीम, वसीम, तसलीम उर्फ राहिल की सोने चांदी की दुकान है। तीनो भाइयों की दुकान अलग–अलग है, लेकिन सब आपस मे मिलकर सोना चांदी खरीदते व बेचते हैं। पहले तीनो भाई का रहनुमा ज्वलर्स के नाम से दुकान थी, एक साथ काम करते थे, फिर षड्यंत्र के तहत वसीम ने कुछ साल पहले मुबर्शिरा ज्वैलर्स के नाम से दुकान कर ली, परन्तु आज भी तीनो भाइयों के सोने चांदी का काम एक साथ होता है। उसने दो ग्राम सोने का लाकेट नदीम को दिया था, जब दिया था उस समय तसलीम उर्फ राहिल भी मौजूद थे, दोनो लोगों द्वारा बताया गया कि मैं 15 दिवस के अंदर आपका सोने का लाकेट दे दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाउगा तो मेरे भाई की दुकान से ले लेना। जब वह जाती तो दुकान पर नदीम, वसीम, तसलीम उर्फ राहिल नहीं मिलते थे। कुछ दिन बाद जब अपना लाकेट लेने गयी तो दुकान पर नदीम, वसीम, तसलीम व फुरकान मिले कहा कि बाद मे ले जाना, उसने कहा आज ही अपना जेवर लेकर जाउगी, इस पर सभी लोग गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी देने लगे। दो दिन बाद जब वह अपना जेवर लेने गयी

तो पता चला कि नदीम, वसीम व तसलीम उसके अलावा अन्य कई लोगों के करोड़ो रूपया व जेवर लेकर ठगी कर हड़पकर भाग गए हैं। इसी तरह का बयान साक्षी आयशा खान, नाजिया, मो0 सईद ने भी दिया है।

8. अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व जनता के लोगों का जेवर व पैसा धोखाधड़ी करके हड़प लेने का कथानक है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद नहीं है, उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश मे आया है। आरोपित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है।
9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद वसीम का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
11. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।
12. आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software मे करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

(सपना त्रिपाठी-I)
आई.डी. यू.पी.6103
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1,
कानपुर नगर।

दिनांकः 06.06.2026
अनिल

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.08 11:54:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court